(1)

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या 66 वर्ष 2023

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती सुप्रीति कुजूर
ग्रा०-बरांगो, प्र०-कर्रा,
जिला-खूँटी

बनाम

वाद प्रारंभ की तिथि
21/12/2023.

प्रतिवादी -जिला समाज कल्याण पदा०,
खूँटी।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
DISPOSED 28/03/24.		

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–66 / 2023

परिवादी श्रीमती सुप्रीति कूजुर, ग्राम–बराँगो, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूँटी का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा उल्लेख किया गया है कि वर्ष, 2022–23 में PMMVY का लाभ लेने हेतु उनके द्वारा सभी आवश्यक कागजातो के साथ आवेदन दिया गया था किन्तु अबतक उन्हें इस योजना की राशि नहीं मिली है। यह भी कि उनके बाद किये गये आवेदकों को राशि प्राप्त हो गई है। परिवादी का आरोप है कि इस संबंध में उनके द्वारा CDPO एवं DSWO कार्यालय से भी संपर्क किया गया एवं परिसदन भवन में राज्य खाद्य आयोग की बैठक में भी अपनी समस्या बताई गई किन्तु अबतक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–66 / 2023

11.01.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती सुप्रीति कुजुर, ग्राम–बरांगो, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूँटी Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी सुनवाई में उपस्थित है। जबकि शिकायतकर्त्ता दूरभाष से सुनवाई में उपस्थित रहें। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का कहना है कि उनके रिकॉर्ड में दो इन्ट्री दर्ज है जबकि शिकायतकर्त्ता का कहना है कि उनके बैंक एकांउट में राशि क्रेडिट नहीं हुई है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने शिकायतकर्त्ता को ये निर्देश दिया है कि वो अपना दोनों पास बुक लेकर कार्यालय आ जाय। तत्पश्चात् जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। आयोग शिकायतकर्त्ता को निर्देश देता है कि वो अगली सुनवाई से पूर्व अपने दोनों पास बुक लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के पास उपस्थित हो जायें और यदि उनके शिकायत का समाधान नहीं होता है तो अगली सुनवाई में आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकते है।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–66 / 2023

30.01.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सुप्रीति कुजूर, ग्राम–बरांगो, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूँटी Video conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के पिछले सुनवाई में आयोग को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी द्वारा यह बताया गया था कि उनके Account में दो इंट्री दर्ज है, जबकि शिकायतकर्ता ने पिछले सुनवाई में यह कहा था कि उनके बैंक Account में राशि क्रेडिट नहीं हुई है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने पिछले सुनवाई में आयोग को यह कहा था कि शिकायतकर्ता अपने दोनों पासबुक को अपडेट करा लें। हो सकता है कि राशि ट्रांसफर कर दी गई हो। लेकिन आज की सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का कहना है कि उनके स्तर से सारी औपचारिकताएँ पूरी कर दी गई हैं। भुगतान राज्य स्तर से होता है और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि लाभुक को भुगतान किया गया है या नहीं। स्वभाविक है कि पिछली सुनवाई और इस सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के तर्क विरोधाभाषी हैं। ऐसे में आयोग यह मान रहा है कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आयोग को गुमराह और भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं कर सकता है कि उनके द्वारा औपचारिकता पूरी करने के बावजूद राज्य स्तर से भुगतान नहीं किया गया है। आयोग लाभुक को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ नहीं मिलने को कतई बर्दास्त नहीं कर सकता।

ऐसे में आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे आकस्मिक निधि से लाभुक को वो राशि का भुगतान करें, जिस राशि के हकदार वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् हैं। आयोग के आज के आदेश का प्रमाण जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने अगली सुनवाई में नहीं पेश किया, तो आयोग उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत् विधिक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.02.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.02.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–66/2023

12.02.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती सुप्रीति कुजुर, ग्राम–बरांगो, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूँटी Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के 30.01.2024 के आदेश का आनुपालन का प्रमाण आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। इस बीच सुनवाई में उपस्थित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी ने पत्रांक 158 दिनांक–10.02.2024 के माध्यम से आयोग को ये बताया है कि आयोग के पिछले आदेश के अनुपालन की दिशा में सहायक निदेशक, समाज कल्याण, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी को ये निर्देश देता है कि 15 दिनों के अन्दर यदि लाभुक को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के तहत बची हुई राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आयोग कार्य में लापरवाही बरतने के आधार पर उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अग्रेतर कार्रवाई करने को बाध्य होगा। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को पूर्व में कई अवसर दे चुका है। अतः अगली सुनवाई तक यदि लाभुक को राशि निर्गत नहीं किया गया तो आयोग अगली सुनवाई में एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–66 / 2023

30.01.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सुप्रीति कुजूर, ग्राम–बरांगो, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूँटी Video conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के पिछले सुनवाई में आयोग को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी द्वारा यह बताया गया था कि उनके Account में दो इंट्री दर्ज है, जबकि शिकायतकर्ता ने पिछले सुनवाई में यह कहा था कि उनके बैंक Account में राशि क्रेडिट नहीं हुई है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने पिछले सुनवाई में आयोग को यह कहा था कि शिकायतकर्ता अपने दोनों पासबुक को अपडेट करा लें। हो सकता है कि राशि ट्रांसफर कर दी गई हो। लेकिन आज की सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का कहना है कि उनके स्तर से सारी औपचारिकताएँ पूरी कर दी गई हैं। भुगतान राज्य स्तर से होता है और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि लाभुक को भुगतान किया गया है या नहीं। स्वभाविक है कि पिछली सुनवाई और इस सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के तर्क विरोधाभाषी हैं। ऐसे में आयोग यह मान रहा है कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आयोग को गुमराह और भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं कर सकता है कि उनके द्वारा औपचारिकता पूरी करने के बावजूद राज्य स्तर से भुगतान नहीं किया गया है। आयोग लाभुक को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ नहीं मिलने को कतई बर्दास्त नहीं कर सकता।

ऐसे में आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे आकस्मिक निधि से लाभुक को वो राशि का भुगतान करें, जिस राशि के हकदार वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् हैं। आयोग के आज के आदेश का प्रमाण जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने अगली सुनवाई में नहीं पेश किया, तो आयोग उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत् विधिक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.02.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.02.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–66 / 2023

12.02.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती सुप्रीति कुजुर, ग्राम–बरांगो, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूँटी Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के 30.01.2024 के आदेश का आनुपालन का प्रमाण आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। इस बीच सुनवाई में उपस्थित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी ने पत्रांक 158 दिनांक–10.02.2024 के माध्यम से आयोग को ये बताया है कि आयोग के पिछले आदेश के अनुपालन की दिशा में सहायक निदेशक, समाज कल्याण, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी को ये निर्देश देता है कि 15 दिनों के अन्दर यदि लाभुक को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के तहत बची हुई राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आयोग कार्य में लापरवाही बरतने के आधार पर उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अग्रेतर कार्रवाई करने को बाध्य होगा। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को पूर्व में कई अवसर दे चुका है। अतः अगली सुनवाई तक यदि लाभुक को राशि निर्गत नहीं किया गया तो आयोग अगली सुनवाई में एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–66 / 2023

28.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सुप्रीति कुजूर, ग्राम–बरांगो, प्र0–कर्रा, जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी अनुपस्थित एवं सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय आयोग कार्यालय में उपस्थित।

इस वाद में सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा आयोग को जानकारी दी गई है कि लाभुक को आयोग के आदेश के आलोक में 5000रू० की राशि का भुगतान किया गया है। आयोग के इस आशय का प्रमाण सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा पेश करने के उपरान्त आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।